मेघालय राज्य व अन्य

बनाम

मेक्कन सिंह एन मारक

(सिविल अपील क्रमांक 3471/2008)

9 मई, 2008

(अल्तमस कबीर और जे.म. पंचाल जे.जे)

सेवा कानून-दंड-हस्तक्षेप-का दायरा-पुलिस अधिकारी द्वारा कदाचार- निर्देशों का उल्लंघन और राजकोष को नुकसान, साथ ही गोला-बारूद के साथ सर्विस रिवॉल्वर की हानि-सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाना-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय बरकरार रखा गया हालांकि, डिवीजन बेंच ने हटाने के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को अपीलीय प्राधिकरण को भेज दिया, ताकि हटाने से कम सजा दी जा सके - निर्धारित किया गया कि यह उचित नहीं है। सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। प्राधिकारीगण द्वारा सजा तब तक कायम रखी जाएगी जब तक कि सजा की मात्रा से अदालत की अंतरात्मा को कुठाराघात न लगेए यह आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह कारण नहीं बताया कि सज़ा अनुपातहीन क्यों थी। उनके द्वारा न केवल अति-साधारण तरीके से सज़ा में हस्तक्षेप किया बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश और निर्देश अपास्त किए गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा से हटाने का आदेश बरकरार रखा गया।

प्रत्यर्थी, पुलिस उप निरीक्षक को उनके कमांडेंट ने विभाग के वाहन में वेतन वितरित करने के लिए शिलांग जाने का निर्देश दिया था। वितरित किए जाने वाले वेतन के सुरक्षित परिवहन के लिए एक अन्य पुलिस अधिकारी को भी तैनात किया गया था।

प्रतिवादी को 12 राउंड गोला बारूद के साथ 0.38 बोर रिवॉल्वर जारी किया गया था। प्रतिवादी ने निर्देशों की अवहेलना की और खुद को इस तरह से संचालित किया कि उनके द्वारा राजकोष में जमा किए जाने वाले वेतन के एक हिस्से की हानि हुई और गोला-बारूद के साथ सर्विस रिवॉल्वर की हानि हुई। प्रतिवादी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। विभागीय जांच करायी गयी। सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी को सेवा से हटा दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश बरकरार रखाण् उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा।

अपील में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया और उचित दंड लगाने के सवाल पर विचार करने के लिए मामले को अपीलीय प्राधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक को भेज दिया। प्रतिवादी के सिद्ध कदाचार की गंभीरता के अनुरूप, सेवा से निष्कासन में कमी। इसलिए वर्तमान अपील। कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित किया गयाः

1. सक्षम प्राधिकारी के साथ.साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी द्वारा किया गया गंभीर कदाचार संतोषजनक ढंग से साबित हुआ है। उक्त निष्कर्ष को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बरकरार रखा था। प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए सबूतों की फिर से विवेचना करने पर, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह तथ्य भी दर्ज किया कि प्रतिवादी ने गंभीर कदाचार किया था। उक्त निष्कर्ष तथ्य का निष्कर्ष है जो तात्कालिक अपील में हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। (पैरा 8) [96-सी,डी] डी

1.2. किसी अदालत या न्यायाधिकरण को सजा की मात्रा पर विचार करते समय उन कारणों को दर्ज करना होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों पाया कि सजा सिद्ध आरोपों के अनुरूप नहीं है। सज़ा देने के मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है

और असाधारण मामलों तक ही सीमित है। सज़ा की मात्रा तय करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है और इसका प्रयोग पर्याप्त कारणों के बिना नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के पास उचित मामले में सज़ा की मात्रा के संबंध में प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसकी एक सीमित भूमिका है। अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सज़ा की मात्रा के साथ उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जब तक कि इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद न हों। अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी गई सज़ा जब तक अदालत की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाली न होए न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं समीक्षा नही की जा सकती। (पैरा 9)[97-बी,सी,डी,ई,] एच

1.3 उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि सज़ा को अनुपातहीन क्यों माना गया। कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के समान है। केवल यह कहना कि यह अनुपात से कहीं अधिक है, पर्याप्त नहीं होगा। विभागीय जांच के निष्कर्ष पर अपराधी को दी गई सजा की आनुपातिकता के प्रश्न पर विचार करते समय, अदालत को अपराधी की मानसिक स्थिति, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य के प्रकार और इसी तरह की प्रासंगिकता पर भी विचार करना चाहिए और उन परिस्थितियो पर भी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आती हैं, विचारण करना चाहिए। यदि आरोपित कर्मचारी विश्वास का पद रखता है जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कामकाज की अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं, तो मामले से नरमी से निपटना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में कदाचार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। प्रतिवादी एक अनुशासित बल से संबंधित था। उसे अपने वरिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना था। उन्होंने न केवल निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि इस तरह आचरण किया कि राजकोष में जमा किए जाने वाले वेतन के एक हिस्से का

नुकसान हुआ और गोला-बारूद के साथ सर्विस रिवॉल्वर का नुकसान हुआ, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था। (पैरा 9)[97-ई-एच, 98-ए]

1.4 जब कोई क़ानून प्रशासक को निर्णय लेने का विवेक देता है, तो न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित रहेगा। सिद्ध आरोपों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि प्रतिवादी, जो एक पुलिस अधिकारी था, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठाए ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम के साथ निभाने में विफल रहा और उसके कृत्य राजकोष और समाज के लिए हानिकारक थे। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया दंड अदालत की अंतरात्मा को चौंकाने वाला पाया जाता है, आम तौर पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को दंड लगाने के सवाल पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने ना केवल अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दण्ड में अति सामान्य और अनुपयुक्त तरीके से, लगाए गए दंड में हस्तक्षेप किया, बल्कि अपीलीय प्राधिकारी को कोई अन्य दंड लगाने का निर्देश देकर एवं हटाए जाने से कम दण्ड अधिरोपित करने के निर्देश देकर अपीलीय अधिकारी का विवेक निर्बाधित कर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिवादी द्वारा किए गए गंभीर कदाचार के लिए उचित दंड देने के लिए, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निष्कर्ष को बिल्कुल भी उचित नहीं माना जा सकता है। अतः उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित किया गया निर्णय जिसके तहत प्रत्यर्थी को सेवा से हटाया जाना अपास्त किया गया और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवा से हटाए जाने के आदेश को कायम नही रखा गया। अपीलीय प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक को खण्डपीठ द्वारा यह निर्देश की सेवा से हटाए जाने के अतिरिक्त अन्य दण्ड प्रत्यर्थी पर आरोपित किए जाए। उक्त निर्णय को अपास्त किया गया।

2. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2002 की रिट अपील संख्या 282 में दिए गए 7 मार्च, 2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत 5 अक्टूबर, 2002 को विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित सिविल फैसला पारित हुआ था। 1996 के नियम संख्या 4048 के तहत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए जिसके द्वारा प्रतिवादी को सेवा से हटा दिया गया था। मामले को विचारण के लिए अपीलीय प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक को रिमाण्ड किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध सिद्ध हुए कदाचार के संबंध में सेवा से हटाए जाने के दण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य उपयुक्त दण्ड आरोपित किया जावे।

3. मामले के रिकार्ड से सामने आने वाले प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं। वर्ष 1967 में प्रतिवादी को गृह विभाग, मेघालय सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्हें पुलिस उप.निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और गोएराग्रे में दूसरी मेघालय पुलिस बटालियन में सशस्त्र शाखा उप. निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया। 5 मई, 1995 को उन्हें शिलांग में तैनात कर्मियों को अप्रेल, 1995 के महीने का वेतन देने के लिए बीएनसी क्लाइफोर्थ संगमा के साथ शिलांग जाने का निर्देश दिया गया था। इस उद्देश्य क लिए उन्हें एक 0.38 बोर रिवॉल्वर नंबर 787735 और 0.38 गोला बारूद के 12 राउण्ड भी जारी किए गए थे। उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि वे अन्य पुलिस कर्मियों के साथ विभाग के एक वाहन में शिलांग की और बढें, जो अपने हथियारों और गोला-बारूद के साथ प्लाटून स्थानांतरण पर शिलांग जा रहे थे। प्रतिवादी को निर्देश दिया गया था कि वेतन आदि के वितरण के बाद उसी वाहन में शिलांग से गोएराग्रे वापस आए, अन्य कर्मियों के साथ जिन्हें अपने हथियार और गोला-बारूद के साथ गोएराग्रे वापस आना था। प्रतिवादी, क्लाइफोर्थ संगमा की कंपनी में 5 मई, 1995 की सुबह लगभग 8.30 बजे यूनिट के वाहन संख्या एम एल-02 1038 द्वारा बीएन मुख्यालय से रवाना हुआ और लगभग 8.00 बजे शिलांग

पहुंचा। शिलांग पहुंचने पर, प्रतिवादी ने वेतन देना शुरू कर दिया। बाकी वेतन बांटने में भी उनका अगला पूरा दिन निकल गया। 17,314/- रूपये की राशि उनके द्वारा वितरित नहीं की जा सकी और उन्हें इसे मुख्यालय में सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना था। प्रतिवादी ने क्लाइफोर्थ संगमा को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए 7 मई, 1995 की सुबह क्लाइफोर्थ संगमा अपने गांव राजसिमला के लिए रवाना हुए और 9 मई, 1995 को वापस बीएन मुख्यालय लौट आए।

4. प्रत्यर्थी ने उस वाहन में बीएन मुख्यालय वापस आने के लिए दिए गए निर्देशों की अवज्ञा की जिसमें वह शिलांग गया था। इसके बजाय उन्होंने मुलाकात की और बीएनसी 737 इमैनुअल जालॉन्ग को रात की बस से बीएन मुख्यालय के लिए रवाना होने की तैयारी करने का निर्देश दिया गया। 7 मई, 1995 को शाम करीब 4.30 बजे उन्होनें एम्.टी.सी. के लिए शिविर छोड़ दिया। बस स्टेशन पर उसने उनसिपाहियसों को नहीं देखा जिन्होंनें उसके साथ यात्रा करनी थी। यह मानते हुए कि वे दूसरी बस में आगे बढे होगें, प्रतिवादी तुरा जाने वाली एम्.टी.सी. बस नंबर एमएल-03-0099 में चढ़ गया। वह सीट नंबर 22 पर बैठा था। सर्वोच्य न्यायालय की रिपोर्ट (2008) एम्.सी.आर. सीट नंबर 21 पर उनके बगल वाली सीट पर एक यात्री था, जोराबाट में बस रूकी जहां प्रतिवादी ने रात का खाना खाया। बस के तुरा के लिए अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू करने के बादए सीट नंबर 21 पर उनके सह-यात्री ने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। सह-यात्री ने बिस्किट का एक पैकेट निकाला और प्रतिवादी को बिस्कुट की पेशकश की। प्रतिवादी ने बिस्किट स्वीकार कर लिया और बिस्किट खाने के बाद उसने खुराक ले ली। जब उसकी नींद खुली तो बस अणोगरी के पास कहीं पहुंच चकी थी। उन्होंने अपने सामान के बारे में पूछताछ की आैर पाया कि गोला.बारूद के साथ उनकी रिवॉल्वर और थैली जिसमे 17,314/- रूपए की राशि थी, जो किबकाया

वेतन था, गायब थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सीट नंबर 21 पर उनका सह-यात्री आसपास नहीं था।

5. जब वह गोएराग्रे पहुंचा तो उसने फिर से अपना सामान खोजा लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद वह अपने आवास के लिए रवाना हो गए। कुछ देर ससोने के बाद वह उठा और एक बार फिर बस की तलाश करने के इरादे से तुरा की और चला गया। वह डिपो मैंनेजर से मिले जिन्होंने बताया कि बस नंगलबीबरा क लिए रवाना हो गई है और शाम को ही लौटेगी। इसलिएए वह अपने आवास पर वापस आ गए और रात 10.00 बजे कमाण्डेंट के कार्यालय गए। उसकी रिवॉल्वर और पैसे के नुक्सान के बारे में उन्हें सूचित किया। जब वह कमाण्डेंट के कार्यालय पहुंचा तो कार्यालय में बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसलिए, वह कमाण्डेंट को लगभग 12.00 बजे अपरान्ह में घटना के बारे में सूचित कर सका।

6. अपीलार्थी से सूचना प्राप्त होने पर, प्रतिवादी नंबर 3, जो बटालियन के कमाण्डेंट हैं, ने 8 मई, 1995 को मामला दर्ज करने के लिए अपनी रिपोर्ट पुलिस थाने को भेज दी और तद्नुसार तुरा पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। 12 मई, 1995 को, प्रतिवादी को 17,314/- रूपए और गोला-बारूद के साथ सर्विस रिवॉल्वर के नुक्सान के लिए जांच लंबित रहने तक सेवा से निलंबित कर दिया गया था। मामले के संबंध में प्रारंभक जांच की गई और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ नियमित विभागीय जांच शुरू करने के लिए कदम उठाने का फैसला किया। तद्नुसार, प्रतिवादी को आरोपों का विवरण दिया गया और अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने जाचं नियुक्त की।

7. विभागीय जांच के दौरान प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कई गवाहों से पूछताछ की गई। प्रतिवादी ने अपने गवाहों से भी पूछताछ की थी। विभागीय जांच के समापन पर जांच अधिकारी ने सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाएगए आरोप विधिवत साबित हुए हैं। रिपोर्ट के साथ-साथ अभिलेखों पर सावधानीपूर्वक विचार करने परए सक्षम प्राधिकारी अस्थायी रूप से जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हुए। सक्षम प्राधिकारी ने 18 सितम्बर, 1995 के पत्र के साथ जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिवादी को भेज दी और उसे कारण बताने के लिए कहा कि क्यों न उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाए। कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने पर प्रतिवादी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। सक्षम प्राधिकारी ने 1 जनवरी, 1996 को एक आदेश द्वारा प्रतिवादी को सेवा से हटा दिया। व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने असम पुलिस मैनुअल भाग ।।। केनियम 66 के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक, पश्चिम रेंज, तुरा के समक्ष अपील की। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) ने 13 मई, 1996 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। इसके बाद प्रतिवादी ने 1996 का सिविल नियम संख्या 4048 दायर करके संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधरण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एक न्यायाधीश ने 5 अक्टूबर, 2002 के आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसल से व्यथित होकर प्रतिवादी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के सक्षम अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बरकार रखा कि प्रतिवादी द्वारा कदाचार संतोषजनक ढंग से साबित हुआ था। हालांकि, डिवीजन बेंच का विचार था कि प्रतिवादी का यह कथन कि उसे मेघालय राज्य सड़क परिवहन निगम की रात्री बस से यात्रा करनी थी और सह यात्री द्वारा दी गई मिठाई लेने के बाद वह बेहोश हो गया। यह एक दोषिता कम करने वाली परिस्थिति थी। इसलिए,

प्रत्यर्थी का तर्क था कि सजा दी गई। सजा सेवा से निष्कासन, सिद्ध कदाचार की गंभीरता के अनुरूप नहीं थी । उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक को विचार करने और सेवा से हटाने के अलावा उचित सजा देने के लिए पुनः प्रेषित कर दिया है। मामले की गंभीरता के अनुरूपए आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रतिवादी का सिद्ध कदाचार, इस अपील को जन्म देता है।

8. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तृत रूप से सुना है। इस न्यायालय ने तत्कालिक अपील का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर भी विचार किया है। सक्षम प्राधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रतिवादी द्वारा किया गया गंभीर कदाचार संतोषजनक ढंग से साबित हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका पर फैसला करते समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त निष्कर्ष को बरकरार रखा है। प्रत्यर्थी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच के दौरानए प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए सबूतों की फिर से विवेचना करने पर, डिवीजन बेंच ने इस तथ्य का निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि प्रत्यर्थी ने गंभीर कदाचार किया था। उक्त निष्कर्ष चूंकि तथ्य का निष्कर्ष है, अतः तत्कालिक अपील में हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

9. अगला प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को सेवा से हटाना उचित था और क्या उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दंड के उचित आदेश को, पारित करने के लिए मामले को अपीलीय प्राधिकारी को प्रति प्रेषित किया जाना उचित था। रिकॉर्ड यहा स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था। उनके कमांडेंट ने उन्हें विभाग से संबंधित वाहन में वेतन वितरित करने के लिए शिलांग जाने का निर्देश दिया था और उनके साथ एक अन्य पुलिस अधिकारी को भी बीएन को वितरित किए जाने वाले वेतन की सुरक्षित परिवहन के लिए

प्रतिनियुक्त किया गया था। सोनल शिलांग में तैनात हैं। इसके अलावाए प्रतिवादी को 12 राउंड के साथ 0.38 बोर रिवॉल्वर जारी किया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी को अन्य पुलिस कर्मियों के साथ विभाग के वाहन द्वारा बीएन मुख्यालय वापस आने का निर्देश दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने निर्देशों की अवहेलना की और एक बस में बीएन मुख्यालय तक पहुंचाए जिसमें न केवल उसकी नकद राशि 17,314/- रूपए उससे गुम गए बल्कि 12 राउंड गोला बारूद के साथ उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी गुम गयी। इन परिस्थितियों में सवाल उठता है कि क्या उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निष्कासन के आदेश को रद्द करना उचित था एवं यह भी आदेशित करना कि प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्तगी के मामले को अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्रत्यर्थी के सिद्ध कदाचार की गंभीरता के अनुरूप उसे उचित सजा जो सेवा से हटा देने से कम होए के प्रश्न पर विचार किया जावे। सजा की मात्रा पर विचार करते समय एक अदालत या न्यायाधिकरण को यह कारण दर्ज करना होता है कि ऐसा क्यों महसूस किया जाता है कि सजा सिद्ध आरोपों के अनुरूप नहीं है। सजा देने के मामले में, हस्तक्षेप की गुंजाइश है बहुत सीमित है और असाधारण मामलों तक ही सीमित है। सज़ा की मात्रा में हस्तक्षेप करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है और पर्याप्त कारणों के बिना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के पास उचित मामले में सज़ा की मात्रा के संबंध में प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसकी एक सीमित भूमिका है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुएए सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक कि इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद न हों। अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दी गई सजाए जब तक कि अदालत की अंतरात्मा को झकझोर न दे, न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं की जा

सकती। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि सज़ा को अनुपातहीन क्यों माना गया। कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के समान है। केवल यह कहना कि यह अनुपात से अधिक है, पर्याप्त नहीं होगा। विभागीय जांच के निष्कर्ष पर अपराधी को दी गई सजा की आनुपातिकता के सवाल पर विचार करते समय, अदालत को अपराधी की मानसिक स्थिति, उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य के प्रकार और इसी तरह की प्रासंगिक परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यदि आरोपित कर्मचारी जो ट्रस्ट का पद धारण करता है जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कामकाज की अंतर्निहित आवश्यकताएं हैं, तो मामले से नरमी से निपटना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में कदाचार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। प्रतिवादी एक अनुशासित बल से संबंधित था और उससे यह अपेक्षित था कि वह अपने से उच्च अधिकारी के निर्देशों की उचित रूप से अनुपालना करे। उसने ना केवल उन निर्देशों का उल्लंघन किया बल्कि स्वयं इस प्रकार की रीति से कार्य किया जिससे राजकोष में जमा होने वाली वेतन की राशि का नुक्सान हुआ और इसके साथ गोला बारूद के साथ सर्विस रिवॉल्वर का नुक्सान हुआ जिसका दुरुपयोग किया जा सकता था। जब कोई क़ानून प्रशासक को निर्णय लेने का विवेक देता है, तो न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित रहेगा। सिद्ध हुए आरोपों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि प्रतिवादी, जो एक पुलिस अधिकारी थाए अपने कर्तव्यों को अत्यंत निष्ठाए ईमानदारी से निभाने में विफल रहा। समर्पण और परिश्रम और उनके कृत्य राजकोष और समाज के लिए हानिकारक थे। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया दंड अदालत के विवेक के लिए चौंकाने वाला पाया जाता है, आम तौर पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के सवाल पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इस मामले में उच्च न्यायालय ने न केवल अनुशासनात्मक

प्राधिकारी द्वारा नियमित तरीके से लगाए गए दंड में हस्तक्षेप किया है, बल्कि अपीलीय प्राधिकारी को हटाने के अलावा कोई अन्य दंड लगाने का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। प्रतिवादी द्वारा किए गए गंभीर कदाचारों के लिए उचित दंड देने के अपीलीय प्राधिकारी के विवेक को बाध्य करके, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया। इस पृष्ठभूमि मेंए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निष्कर्ष बिल्कुल भी उचित नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा में आकस्मिक तरीके से हस्तक्षेप किया है और इसलिएए अपील को स्वीकार करना होगा।

10. उपरोक्त कारणों से अपील सफल होती है। 7 मार्च 2006 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2006 की रिट अपील संख्या 282 में दिए गए फैसले में प्रतिवादी को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया गया। डिविजन बेंच द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक को प्रतिवादी के सिद्ध कदाचार की गंभीरता के अनुरूप सेवा से निष्कासन पर विचार करने और सजा देने के निर्देश को रद्द कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को सेवा से हटाने का पारित आदेश बहाल किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीलम शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।